



## प्रेस नोट दिनांक – 28/01/2021

### सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप) पर गलत पोस्ट करने वाले अभियुक्त को कोतवाली हापुड नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

#### कार्यवाही:-

दिनांक 27.01.2021 को कोतवाली हापुड नगर पर मुकदमा वादी श्री ब्रजपाल सिंह, ने मु0अ0स0 71/21 धारा 295/506 भादवि0 एवं 67 आईटी एक्ट अशोक शर्मा नाम के फेसबुक यूजर द्वारा सोशल मीडिया (फेसबुक/व्हाट्सएप) पर गलत पोस्ट करने के सम्बंध में पंजीकृत कराया गया। प्रश्नगत प्रकरण में कोतवाली हापुड नगर पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड महोदय के दिशा निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुये अशोक शर्मा नाम के इस फेसबुक यूजर का पूरा नाम पता ज्ञात कर घटना कारित करने वाले अभियुक्त अशोक शर्मा को अबिलम्ब गिरफ्तार किया गया है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.अशोक शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगदीश शर्मा नि0 पार्कलेन श्रीनगर थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

#### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.सुबोध कुमार सक्सेना, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हापुड नगर जनपद हापुड।
- 2.कां0 65 विनीत कुमार, कोतवाली हापुड नगर जनपद हापुड।
- 3.कां0 684 शैलेन्द्र, कोतवाली हापुड नगर जनपद हापुड।